फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
कश्मीरसिंह बनाम हीरासिंह आदि
किस्म मुकदमा:–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–145/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के पिता बचनसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति रायसिख सा.निरवाणा के नाम से चक 7 एन0आर0डी0 के प0नं0 94/319 के कि0नं0 1 ता 25/6.075 है0 रकबा क0/अ0क0 मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज होकर प्रार्थी के पिता के नाम से खातेदारी दर्ज चला आ रहा था। प्रार्थी के पिता ने अपने से आवंटित रकबा चक 7 एन0आर0डी0 व पुराना चक 7 एन0डब्लयू0डी0 के प0नं0 94/319 के 24.00 बीघा रकबा के खातेदारी अधिकार दिनांक 15.03.1995को प्राप्त कर लिये थे। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्तकाल दर्ज होने के काफी समय बाद प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से अपने नाम की खातेदारी भूमि चक 7 एन0आर0डी0 के कि0नं0 16 के पश्चिमी पासा की आधा बीघा भूमि जिसमें रिहायशी ढ़ाणी बनी हुई थी, कि वसीयत प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 16.11.2011 को निष्पादित करवाकर नोटेरी से तस्दीक करवा दी थी। प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने के पश्चात् विरास्तन इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 20.09.2013 को प्रार्थी एंव उसके भाई–बहिन के नाम से दर्ज हो गया प्रार्थी की बहिनों ने प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पक्ष में दस्तबरदारी कर दी जिससे प0नं0 94/319 के कि0नं0 1 ता 25 का 6.075 है0 रकबा प्रार्थी एवं अप्राथी संख्या 1 ता 3 के नाम ब0हि0बराबर दर्ज हुआ। इसके पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने प0नं0 94/319 के कि0नं0 12 का 0.228 है0 व 2–3/0.506 है0 रकबा अपनी सगी बहिन कश्मीराबाई को दान में दिया। शेष रकबा कि0नं0 4 ता 25/5.341 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम ब0हि0बराबर दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल में पिता के साथ रहता था पिता की सेवा करता था। प्रार्थी के पिता का रियाहशी मकान इसी चक 7 एन0आर0डी0 के प0नं0 94/319 के कि0नं0 16 के पश्चिमी पासा के 0.126 है0 रकबा में बना हुआ था। उक्त रकबा की वसीयत उसके पिता ने खुश होकर प्रार्थी के पक्ष में करवाई है। प्रार्थी के पिता का उक्त रकबा स्वअर्जित व खातेदारी था। पिता की उक्त वसीयत प्रार्थी के बड़े भाई ने अपने पास रखकर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने धमकी दी है कि इस रकबा में प्रार्थी का कोई हक नही है जैरप्रकरण रकबा को आगे बैचान कर देगें। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे चक 7 एन0आर0डी0 के प0नं0 94/319 के कि0नं0 16/0.126 है0 रियाहशी ढ़ाणी बने रकबा को वाद पत्र के निर्णय तक उक्त रकबा को रहन, बेचान न करें व रिकार्ड मौका की यथास्थिति बनाये रखे। वकील अप्रार्थीगण ने बताया कि जैरवाद रकबा संयुक्त खातेदारी का है। संयुक्त खाता में स्थगन जारी किया जाना न्यायसंगत नही है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरसत किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जैरवाद रकबा मुताबिक जमाबंदी संयुक्त खातेदारी का है। उक्त किला की घोषणा होना या ना होना यह दावा में साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद तय होगा। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। इस प्रकरण में संयुक्त खातेदारी में विशिष्ट किलाजात पर स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:21:20 IST
Reason: SelfAttested